**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1092**

**16 अगस्‍त, 2013 को उत्‍तरार्थ**

**विषय : पर्वतीय क्षेत्रों की फसलों एवं फलों को राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्‍तर्गत लाया जाना**

**1092: श्री महेन्‍द्र सिंह माहरा:**

क्‍या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्‍या सरकार देश के पर्वतीय राज्‍यों की सभी किस्‍मों के कृषि फसलों एवं फलों को राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के तहत लाने का विचार रखती है;
2. यदि हां, तो क्‍या राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्‍तर्गत केवल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्‍ट हुई फसलें ही आयेंगी या जंगली जानवरों एवं बन्‍दरों द्वारा नष्‍ट की गई फसलें भी इस योजना के तहत आयेंगी; और
3. यदि नहीं, तो उन फसलों के लिए किसानों की भरपाई कैसे हो सकेगी जिनकी फसलों को जंगली जानवर एवं बन्‍दर नष्‍ट कर देते हैं?

उत्‍तर

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (तारिक अनवर)**

1. : एनएआईएस के अन्‍तर्गत पहाड़ी राज्‍यों में उत्‍पादित फलों सहित खाद्य फसलों, तिलहनों तथा वार्षिक वाणिज्‍यिक/बागवानी फसलों को शामिल किया जाता है, जिसके लिए राज्‍य सरकारों द्वारा संचालित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर अपेक्षित आंकड़े उपलब्‍ध हैं । इसके अलावा, कार्यान्‍वयक राज्‍यों एवं बीमा कम्‍पनियों के परामर्श से मौसम आधारित फसल बीमा स्‍कीम (डब्‍ल्‍यूबीसीआईएस) के अन्‍तर्गत बारहमासी बागवानी फसलों को शामिल किया जा सकता है ।
2. एवं (ग): एनएआईएस प्राकृतिक आपदाओं, कीटों/रोगों, अन्‍य गैर-निवारक जोखिमों आदि के कारण हुए उपज की क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए विस्‍तृत जोखिम बीमा प्रदान करता है। जंगली जानवरों तथा बन्‍दरों द्वारा फसल की क्षति स्‍थानीय है तथा सामान्‍य रुप में निवारक प्रकृति की है, इसे स्‍कीम के अन्‍तर्गत कवर नहीं किया जाता है । तथापि, राज्‍य सरकारें, उन किसानों को जिनकी फसल जंगली जानवरों तथा बन्‍दरों द्वारा नष्‍ट की गई हैं, सहायता/क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकती हैं ।

\*\*\*\*\*\*\*\*